

an>

Title: Regarding reservation in promotion of employees belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने देश की 54 फीसदी ओबीसी की आबादी और 23 फीसदी एस.सी.एस.टी. आबादी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। यू.पी. के अंदर 23 प्रतिशत एस.सी.एस.टी. के कर्मचारियों और अधिकारियों को वहां की समाजवादी पार्टी की सरकार ने वरीयता क्रम में प्रमोशन में जो उनको आरक्षण दिया गया था, उनको रिवर्स कर दिया और उनको डिमोट करके उनके नीचे पदों पर बैठा दिया और जूनियर लोगों को बड़े पदों पर बैठाकर उनके अंदर में उनसे काम करने का काम कर रही है। इसी तरीके से ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया, जिसके कारण एक बड़ा आंदोलन चला था तथा पिछली सरकार में राज्य सभा के अंदर भारत के संविधान में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए वहां पर बिल पारित किया गया था।

इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां की बी.एस.पी. की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार से लोग प्रताड़ित होकर और ऊबकर सारे एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी.के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एकजुट होकर हमारी पार्टी बी.जे.पी. को वोट देने का काम किया था और आज वे लोग केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब भारत के संविधान में संशोधन करने वाला बिल पार्लियामेंट में आयेगा और एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का बिल लाकर भारत के संविधान में संशोधन करके हमेशा-हमेशा के लिए उन्हें मेनस्ट्रीम में जोड़ने का काम किया जायेगा, इसके लिए लोग केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त बिल को शीघ्र ही सदन में लाकर पारित कराने का काम किया जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष :

श्री धर्मेन्द्र कुमार,

श्रीमती अंजू बाता,

साध्वी सावित्री बाई फूले,

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत,

श्रीमती कृष्णा राज,

श्री राम प्रसाद शर्मा को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।